



3

॥ श्री ॥

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्र.क. / 366-14 निगरानी

दि. 17-1-14

वहादुर पिता गब्दार्जु जाति दंजारा

निवासीग्राम करनावद (शिकारीखेडा)

तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

राजुवाई पति खीमा निवासीग्राम करनावद

(शिकारीखेडा) तहसील महिदपुर जिला

उज्जैन (म.प्र.)

--अनावेदक

वाद:-इन्द्राज दुरुस्ती बाबद

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता

माननीय महोदय,

उपरोक्त आवेदक न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय के.सी.जैन साहब उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 366/03-द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 20-11-13 जिसकी जानकारी आवेदक को दिनांक 6-3-2014 को तहसील न्यायालय महिदपुर से प्र. 54अ6अ/98-99 का सूचना पत्र प्राप्त हुआ तब प्रकरण में उपस्थित होने हुई होकर उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अन्य में निम्नांकित आधारों पर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है। आज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति में समर्थ की छुट देते यह निगरानी अवधि में प्रस्तुत है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत है।

प्रकरण की वस्तुस्थिति

1:- यह कि ग्राम करनावद तहसील महिदपुर में आवेदक की भीरावाई एवं अन्य सहकृषकों के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर कृषि भूमि सर्वे 69/1 रकबा 1.52 हेक्टेयर स्थित होकर इस भूमि से लगी हुई अनावेदक भूमि सर्वे नंबर 68 रकबा 0.24 हेक्टेर की स्थित है। सर्वे नंबर 68 का वन के पूर्व सर्वे नंबर 45/3 रकबा 0.202 हेक्टेर राजस्व अभिलेखों में अंकि

XXXIX(a)BR(II)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

57

प्रकरण क्रमांक - प्रभार 1701-एक 14

धारा - उज्जैन

आवदक
दिनांक

आवदक का पते

अधिकांश एवं
अभ्यापक आदि
के हस्ताक्षर

16-6-14

आवदक अधिवक्ता श्री मुराके शीतगारा उपस्थित । उन्हे प्रकरण को प्राहयता एवं समयावधि के विद्यु पर सुन गथा ।

2- आवदक अधिवक्ता के लफा पर विचार किया एवं प्रकरण का तब आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह निगरानी अवर आयुक्त के आदेश दिनांक 20-11-13 के विरुद्ध दिनांक 21-5-14 को पेश की गई है। विलंब के समय में जे अथवा अन्ति दिनांक का धारा 5 के आवदन में जे अथवा विद्यु गथा है । प्रथमदृष्टया समयावधि-कारक प्रमाण नहीं प्राप्त है । आवदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अन्ति वाहय ज्ञान से अग्रहय का जारी है । प्रकरण वखिल रिकार्ड हो ।

प्रभार रावस